निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 26/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2025/105

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर ....प्रार्थी

1 श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामसहाय मीणा पता– बोहराजी का चौक चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर 322701 अन्य पता– प्लाट नं0 26 बोहराजी का चौक, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर।

2 श्रीमती अंजली देवी पत्नी राकेश कुमार मीणा निवासी वार्ड न0 17 चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर 322702

......अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002

–:: आदेश ::–

1 सक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.06.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामसहाय मीणा पता– बोहराजी का चौक चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 26 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गोपीलाल मीणा व कन्हैया लाल मीणा का मकान, पश्चिम में अलादीन तेली व शमशुद्दीन तेली का मकान, उत्तर में सरकारी गली बाद भवन संस्कृत विद्यालय व दक्षिण मे रास्ता आम फतेह दरवाजा व सब्जी मडी है, जिसका क्षेत्रफल 125.66 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने मे असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.11.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 09.01.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2 सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।

3 प्रकरण मे प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 14.11.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया साथ ही दिनांक 09.01.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा स 26 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व मे गोपीलाल मीणा व कन्हैया लाल मीणा का मकान, पश्चिम में अलादीन तेली व शमशुद्दीन तेली का मकान, उत्तर में सरकारी गली बाद भवन संस्कृत विद्यालय व दक्षिण में रास्ता आम फतेह दरवाजा व सब्जी मंडी है, जिसका क्षेत्रफल 125.66 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

5. आदेश आज दिनांक 27.5.2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:49 IST
Reason: SelfAttested